

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी मिल्कीपुर फैजाबाद ।

मनीष सिंह बनाम सरकार
धारा 143 ज०वि०अधि०।
ग्राम बवां परगना खण्डासा।
तहसील जिला फैजाबाद।
वाद संख्या 103
तारीख फैसला 11-5-15

परवाना अमलदरामद

चकबन्दी अधिकारी
कुमारगंज

उपरोक्त वाद मे आदेश दिया जाता है कि ग्राम बवां परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद की भूमि गाटा संख्या 1008मि व 1022मि० क्रमशः रकबा 0.758हे० व 1.144हे० जो मनीष सिंह पुत्र राम देव सिंह द्वारा प्रबंधक रामनेवाज सिंह महाविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के नाम अंकित है को, ज०वि०अधि० की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। वाद अमलदरामद परवाना की एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जाय।

उप जिलाधिकारी/सहा० कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)
मिल्कीपुर-फैजाबाद